



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No.-NCST/SER-1438/JH/109/2024-RO-RNC -RU-IV

दिनांक: 30.06.2025

सेवा में

डॉ. मनोज अगरिया,
प्रदेश अध्यक्ष,
झारखंड आदिम जनजाति विकास समिति,
नया बरकाकाना, चेक पोस्ट के समीप, घटुआ,
जिला - रामगढ़, (झारखंड) - 829103
jstim.ramgarhcantt@gmail.com
Mobile No: 9973295200

विषय: अभ्यावेदक डॉ. मनोज अगरिया, प्रदेश अध्यक्ष, झारखंड आदिम जनजाति विकास समिति, जिला - रामगढ़ (झारखंड) से प्राप्त अभ्यावेदन " झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आदिम जनजाति (PVTG) विद्यार्थी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 में पास विद्यार्थी सुश्री रूपा कुमारी रोल नं. - 10107034 के साथ अहर्ता पूर्ण करने के बाद भी मेरिट सूची से उनका नाम हटाने" के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि इस प्रकरण में आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा द्वारा संबंधित प्राधिकारीगण के साथ दिनांक **07 जुलाई 2025 (सोमवार)** को **13.00 बजे** आयोग मुख्यालय में सिटिंग/सुनवाई निश्चित की है। तदनुसार संबंधित प्राधिकारी को अलग से समन/सिटिंग नोटिस भेज दिया गया है। अतः आप से अनुरोध है कि आप भी प्रकरण के दस्तावेज सहित उक्त सिटिंग में समय पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

(एच.आर.मीना/H.R.Meena)

अनुसंधान अधिकारी/Research Officer

दूरभाष/Tele: 011-24615012

E-mail : hari.rammeena@ncst.nic.in

Copy to -

NIC for uploading